न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—87 / 20 (2020 / 00143) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—शंकरलाल पिता रामचन्द्र माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 02.09.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2789 रकबा 1.06 है0, आराजी संख्या 2790 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 2791 रकबा 0.12 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.52 है0 भूमि खाता संख्या 419 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में उक्त वर्णित आराजियात के पास बिलानाम आराजी नम्बर 2799 से होकर अपनी आराजियात में आवागमन संज, बैल, ट्रेक्टर से करता चला आ रहा है। किन्तु पिछले 6 माह से उक्त बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण करने से रास्ता बंद कर दिया है प्रार्थी की भूमि बिना बोए ही पड़त पड़ी हुई है। उक्त रास्ते के अलावा और कोई वैकल्पिक रासता नही है। प्रार्थी का यही रास्ता सुगम होकर आराजी नम्बर 1800 के मूल रास्ते से जुड़ा हुआ है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को बिलानाम आराजी नम्बर 2794 में 20 चौड़ाई में रास्ता दिलाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 31.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी की ओर से लिखित में अलग से जवाब प्रस्तुत नही कर मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि ग्राम रायपुर की आराजी नम्बर 2789, 2790, 2791 कुल किता 3 कुल रकबा 1.52 है0 भूमि एक चक के रूप में प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है जो बिलानाम सरकारी आम रास्ता आराजी नम्बर 2800 के पास बिलानाम आराजी नम्बर 2799 में होकर आवागमन किया जा रहा है मौके पर एवं रेकार्ड के अनुसार प्रार्थी की भूमि जाने का एकमात्र इसी आराजी में होकर जाता है। मौके पर प्रार्थी अपनी भूमि में आराजी नम्बर 2786, 2787 से उत्तर की ओर की स्थित बिलानाम आराजी नम्बर 2731 के रास्ते से होता हुआ आराजी नम्बर 2786 में होकर भी आता जाता है। प्रस्तावित रास्ते की 600 वर्गमीटर भूमि की बाजार दर 69408 रूपये प्रति बीघा होने से 19271 रूपये बनती है जिसकी दुगुनी राशि 38542 मुआवजे के रूप में राजकोष में जमा कराने पर रास्ता दर्ज किया जावे। प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मौका रिपोर्ट अनुसार डीएलसी दर पर रास्ता उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे। साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार रायपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.16 13:11:04 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा जो बल्यू स्याही से रास्ता दर्शाया गया है वो प्रार्थी के मकान से ज्यादा दुर होने से प्रस्तावित रास्ते को रेकार्ड में दर्ज कराया जाना फरमावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन तो पाया कि प्रार्थी वर्तमान में जिस जगह रास्ते का उपयोग कर रहा है वह खसरा नम्बर 2799 के मध्य रास्ते के रूप मे ही होकर बिलानाम गे.का.का. सरकार दर्ज रेकार्ड है जहां प्रार्थी का मौका रिपोर्ट के अनुसार आवागमन होता है ऐसी स्थिति प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 आराजी नम्बर 2799 रकबा 2.40 है0 मे से 0.06 है0 यानि 600 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर रूपये 69408 रूपये प्रति बीघा है। प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रर्युक्त भूमि 600 वर्गमीटर जिसकी डीएलसी दर अनुसार भूमि किमत 19271 रूपये की दुगुनी राशि 38542 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने उक्त भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2.9.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.16 18:11:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—91 / 20 (2020 / 00138) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—देवा पिता उदा जागीड़ ब्राहम्ण निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मासिंहपुरा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 आराजी नम्बर 305 रकबा 0.65 है0 एवं आराजी नम्बर 308 रकबा 0.65 है0 भूमि बिलानाम गे.का.का. सरकार दर्ज रेकार्ड है जिसमें से आराजी नम्बर 305 रकबा 0.65 है0 मे से 360 वर्गमीटर भूमि एवं आराजी नम्बर 308 रकबा 0.65 है0 मे से 60 वर्गमीटर भूमि यानि कुल 420 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर रूपये 54711 रूपये प्रति बीघा है। प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रर्युक्त भूमि 420 वर्गमीटर जिसकी डीएलसी दर अनुसार भूमि किमत 10640 रूपये की दुगुनी राशि 21280 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने उक्त भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 02.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

2-9-2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.16 18:11:04 IST
Reason: SelfAttested